संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा
दमण एवं दीव प्रशासन,
परिवहन विभाग, दमण.

सं. DDTR/DMN/Aggregator/2026-27/196/114 दिनांक:- 21/10/2026

अधिसूचना

विषय :- संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में मोटर वाहन एग्रीगेटर्स के विनियमन हेतु मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 का अंगीकरण तथा सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण के पदनाम के संबंध में..

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या RT-16011/9/2019-T (भाग), दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से जारी 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025' के साथ पठित तथा इस संबंध में समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के प्रशासक एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1 इस अधिसूचना को "मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 – संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में अंगीकरण" कहा जाएगा।

1.2 यह संघ प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. दिशानिर्देशों का अंगीकरण

2.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या RT-16011/9/2019-T (Part) दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025, तथा उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में कार्यान्वयन हेतु अंगीकृत एवं लागू किया जाता है।

2.2 संघ प्रदेश में मोटर वाहन एग्रीगेटर्स का लाइसेंस प्रदान करना, विनियमन एवं संचालन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन, उक्त दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा।

UNCOMPLY CATE
Simplifying Compliance
Scanned with OKEN Scanner

3. सक्षम प्राधिकारी

3.1 संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के सचिव (परिवहन) को, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 तथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रयोजनार्थ संघ प्रदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

3.2 सक्षम प्राधिकारी, उक्त दिशानिर्देशों तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के लागू प्रावधानों के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सौंपे गए कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा।

4. अपीलीय प्राधिकारी

4.1 माननीय प्रशासक के सलाहकार, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 26 में निहित अपीलीय प्रावधानों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करने एवं उस पर निर्णय लेने हेतु एतद्द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

5. राज्य परिवहन प्राधिकरण

5.1 संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन का राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उक्त दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत और नामित किया जाता है।

प्रशासक, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा
दमण एवं दीव के आदेश एवं नाम से

सचिव (परिवहन)
संघ प्रदेश प्रशासन, दादरा एवं नगर हवेली
तथा दमण एवं दीव

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance
Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रशासक के सलाहकार, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव।
2. सचिव (परिवहन), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव।
3. परिवहन निदेशक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव।
4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिलवासा/दमण/दीव।
5. एनआईसी को आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड करने के लिए एनआईसी हेतु।
6. संयुक्त सचिव (मुद्रण), सरकारी मुद्रण प्रेस, मोटी दमण को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करें और रिकॉर्ड के लिए इसकी 5 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
7. सहायक निदेशक (रा.भा.), सचिवालय, मोटी दमण
8. गार्ड फाइल।

UNCOMPLYCATE
Simplifying Compliance

Scanned with OKEN Scanner

Administration of Union Territory
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu,
Transport Department, Daman

No. DDTR/DMN/Aggregator/2026-27/196/114 **Date: 21.10.2026**

NOTIFICATION

Subject: Adoption of the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 and designation of the Competent Authority, the Appellate Authority and the State Transport Authority for regulation of motor vehicle aggregators in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

In exercise of the powers conferred under Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India vide letter No. RT-16011/9/2019-T (Part) dated 01.07.2025, and all other powers enabling him in this behalf, the Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu is pleased to make the following provisions:

1. Short title and commencement

1.1 This Notification may be called the **"Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 – Adoption in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu."**

1.2 It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette of the Union Territory.

2. Adoption of the Guidelines

2.1 The Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025, issued by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India vide letter No. RT-16011/9/2019-T (Part) dated 01.07.2025, as amended from time to time, are hereby adopted as such for implementation in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

2.2 The licensing, regulation and operation of motor vehicle aggregators in the Union Territory shall be governed by the said Guidelines, subject to the

AUTOCOMPLYGATE Simplifying Compliances

Scanned with OKEN Scanner

provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

3. Competent Authority

3.1 The Secretary (Transport), UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, is hereby designated as the Competent Authority under Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025, for the Union Territory.

3.2 The Competent Authority shall exercise the powers and perform the functions assigned to the Competent Authority under the said Guidelines and the applicable provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

4. Appellate Authority

4.1 The Advisor to the Hon'ble Administrator, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, is hereby designated as the Appellate Authority to hear and decide appeals against orders passed by the Competent Authority, in accordance with the appeal provisions under Clause 26 of the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025.

5. State Transport Authority

5.1 The State Transport Authority, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, is hereby authorised and designated to perform such functions as may be assigned to it by the Competent Authority for the effective implementation of the Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the said Guidelines.

By order and in the name of the
Administrator of Dadra & Nagar Haveli
and Daman & Diu.

Secretary (Transport)
UT Administration of Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu

Copy to:

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

Scanned with OKEN Scanner

1. The Advisor to the Hon'ble Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
2. The Chairman, State Transport Authority, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3. The Director of Transport, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
4. The Regional Transport Officers, Silvassa / Daman / Diu.
5. The NIC for uploading the notification on the official website.
6. The Joint Secretary (Printing), Government Printing Press, Moti Daman, with a request to publish the above notification in the Official Gazette and supply 5 copies of the same to this office for records.
7. The Assistant Director (OL), Secretariat, Moti Daman, with a request to translate the above notification into Hindi and supply it to this office for publication in bilingual mode.
8. Guard file.

To;
Director (IT) / MS (DD & GS)
for uploading on ddd.gov.in.

UNCOMPLYCAT
Simplifying compliance

Scanned with OKEN Scanner